

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर
पत्रांक 5974 /14-1 दिनांक, कानपुर, जून, 22 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय:- रा0रा0 मार्ग संख्या-91 पर जनपद कानपुर के किमी0 356.00 से किमी0 414.00 तक मार्ग के फोर लेन बनाने हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपकी पत्र संख्या 5269 / कानपुर / 26890 / 2017 दिनांक 18.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर ने अपने पत्रांक 3959 / 14-1 दिनांक 21.06.2018 द्वारा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में दिनांक 08.06.2018 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में भूमि की त्रुटिपूर्ण आगणन शीट पायी गयी थी, जिसे संशोधित कर हस्ताक्षरित आगणन शीट मूल में 03 प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ओ0पी0सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या:

अ / समादिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को उनके पत्रांक 3959 / 14-1 दिनांक 21.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परियोजना प्रबन्धक, भा0रा0रा0 मार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर